भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1059

जिसका उत्तर 08.02.2024को दिया जाना है

मैसूर-मलप्पुरम कॉरिडोर

1059. डॉ.एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतमाला राजमार्ग परियोजना के तहत मैसूर-मलप्पुरम कॉरिडोर के मार्ग को अंतिम रुप देने या आरेखण में देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मैसूर-मलप्पुरम कॉरिडोर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है या करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उत्तरी केरल को मैसूर से जोड़ने वाले मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर रात के दौरान यात्रा प्रतिबंध के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संबंध में किए गए उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) मैसूर-मलप्पुरम खंड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयके किसी भी अनुमोदित कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-766 केरल में कोझिकोड और मैसूर के माध्यम से कर्नाटक में कोल्लेगल को जोड़ता है।इस रारापर, 34.60 किमी का खंड केरल राज्य (24.2 किमी) और कर्नाटक (10.4 किमी) में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है।कर्नाटक राज्य ने वन्यजीवों की हत्या में वृद्धि के कारण मुथेंगा चेकपोस्ट और गुंडुलपेटे के बीच अपने हिस्से में रात के यातायात पर प्रतिबंध लगाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रात्रिकालीन यातायात प्रतिबंध को जारी रखने तथा वैकल्पिक मार्ग विकसित करने का निर्देश दिया।कर्नाटक सरकार वर्तमान में एक वैकल्पिक मार्ग विकसित कर रही है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य से दो बसों और आपातकालीन वाहनों को रात्रि प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रतिबंधित हिस्से से गुजरने की अनुमति है।

*****